भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3551

10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि सहकारी क्षेत्र का विकास

3551. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सुनील दतात्रेय तटकरे:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और शिक्षित करने के लिए अधिदेशित है और यदि हां, तो कृषि और बागवानी सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी का क्या योगदान है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सहकारी समितियों को एनसीडीसी द्वारा कितना ऋण संवितरित किया गया है;

(ग) क्या सरकार कृषि सहयोग संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) के तहत सहकारी समितियों के विकास के लिए सब्सिडी प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि कितनी है;

(ड.) उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संचालित कृषि और बागवानी सहकारी समितियों की संख्या कितनी है; और

(च) हाल के वर्षों में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एनसीडीसी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)</u>

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, कतिपय अन्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों के नियोजन और संवर्धन, और सहकारिता सिद्धांतों पर सेवाओं तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध किए गए हैं।

स्थापना के बाद से और 31.03.2021 तक, एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसमें कृषि और बागवानी सहकारी समितियों को सहायता शामिल है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान सहकारी समितियों को एनसीडीसी द्वारा वितरित सहायता का विवरण **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(ग): "समेकित कृषि सहयोग केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएसआईएसएसी)" सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रमों की सहायता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के तहत, एनसीडीसी द्वारा अपने संसाधनों से ऋण दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(घ): सीएसआईएसएसी के तहत पिछले तीन वर्षों में वितरित की गई वर्ष-वार सब्सिडी **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ड.): कृषि सहकारी समितियों की संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(च): एनसीडीसी सहकारी सिद्धांतों पर कार्यक्रमों की योजना तैयार करती है और कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। यह केवल सहकारी समितियों की सहायता करता है। एनसीडीसी वित्तीय सहायता योजनाएं, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों को नई सहकारी समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित और आकर्षित करती हैं।

एनसीडीसी ने 30.06.2021 तक सहकारी समितियों को 1.86 लाख करोड़ रुपये की संचयी वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से, 1.31 लाख करोड़ रुपये पिछले सात वर्षों (2014-15 से) में वितरित किए गए हैं, जो वर्ष 1963-2014 की अवधि की तुलना में 286% की वृद्धि दर्शाता है।

एनसीडीसी की वित्त योजनाओं में कृषि-प्रसंस्करण, बागवानी-प्रसंस्करण, ऋण, आदान, कम्प्यूटरीकरण, भंडारण, कोल्ड चेन, कपड़ा, हथकरघा, चीनी, इथेनॉल, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुधन, सूसुअर पालन, मुर्गी पालन, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण आवास, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारी समितियां, पशु देखभाल/स्वास्थ्य, आतिथ्य और परिवहन, बिजली और ऊर्जा, अस्पताल, स्वास्थ्य-देखभाल और शिक्षा आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

अपने सहकार-22 पहलों के तहत, एनसीडीसी ने पिछले दो वर्षों में 10000 से अधिक प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों तक पहुंच बनाई है।

युवाओं को सहकारी समितियों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए, एनसीडीसी ने अपनी युवा सहकार सहकारिता उद्यम सहायता और नवाचार योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है।

अपनी सहकार मित्र योजना के तहत, एनसीडीसी छात्रों को एनसीडीसी के कामकाज के क्षेत्रों और सहकारी समितियों के संबंधित पहलुओं में अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है।

अपनी आयुष्मान सहकार योजना के तहत, एनसीडीसी स्वास्थ्य सेवा के अवसंरचना की स्थापना और सेवाएं प्रदान करने वाली सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है।

भारत सरकार की योजनाएं जैसे 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन, नई सहकारी समितियों के एफपीओ के रूप में पंजीकरण और सहायता का प्रावधान करती हैं। एनसीडीसी ऐसे एफपीओ को बढ़ावा देने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछली पालक किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन और संवर्धन, नई सहकारी समितियों के एफएफपीओ के रूप में पंजीकरण और सहायता का प्रावधान करता है। एनसीडीसी ऐसे एफएफपीओ को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।

अनुबंध-I

एनसीडीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहकारी समितियों को वितरित सहायता का विवरण

करोड़ रूपए में

वर्ष	वितरण
2018-19	28272.51
2019-20	27703.43
2020-21	24733.24
2021-22 (31.07.2021 तक)	8676.63

अनुबंध-II

सीएसआईएसएसी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में वितरित सब्सिडी का विवरण

करोड़ रूपए में

वर्ष	**वितरित राजसहायता**
2018-19	125.60
2019-20	118.13
2020-21	311.39

अनुबंध-III

कृषि सहकारी समितियों की संख्या (पीएसीएस)

1.	तमिलनाडु	4511
2.	महाराष्ट्र	21217
3.	अंडमान और निकोबार (द्वीप)	51

*****